न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 63/2021 **दायरा दिनांक : 14.06.2021**

उनवान

1– कल्याण पुत्र धन्ना लाल, आयु 55 साल, जाति लोधा
2– बाबू लाल पुत्र पन्ना लाल, आयु 45 साल, जाति लोधा
3– भैरू पुत्र खेराज, आयु 65 साल, जाति लोधा
4– लक्ष्मीनारायण आ0 पन्ना लाल, आयु 40 साल, जाति लोधा
अकवाम निवासीगण ग्राम देवरीखुर्द तहसील अकलेरा जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1– केला बाई पत्नि शंकर लाल, जाति लोधा
2– गुलाब चन्द आ0 जगन्नाथ, जाति लोधा
3– चुन्नी लाल आत्मज जगन्नाथ, जाति लोधा
4– पूरी बाई बैवा जगन्नाथ, जाति लोधा
5– बदाम बाई पत्नि मन्ना लाल, जाति लोधा
6– दुर्गा लाल आत्मज भैरू लाल, जाति लोधा
अकवाम निवासीगण ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7– दाखां बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नि मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी झिंगनी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
8– मांगी लाल पुत्र भैरू लाल, जाति लोधा, ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
9– रोडी पुत्री लालू बेवा कन्हीराम, जाति लोधा, (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
9/1– हरकचन्द माता रोडी पिता कन्हीराम
9/2– रामकिशन माता रोडी पिता कन्हीराम
9/3– पूरीलाल माता रोडी पिता कन्हीराम (मृतक) कायम मुकामान :–
9/3/1– भैरू लाल पुत्र पूरीलाल, जाति लोधा
9/3/2– ओम प्रकाश पुत्र पूरीलाल, जाति लोधा
अकवाम निवासीगण नयागांव भंडेरी, तहसील अकलेरा
9/3/3– गुलाब बाई पिता पूरीलाल पति गेन्दा लाल, जाति लोधा, निवासी झिकडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
9/3/4– राज बाई पिता पूरीलाल पत्नि बीरम, जाति लोधा, निवासी काल्याखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
10– मनसा बाई पत्नि रोशन, जाति लोधा, निवासी देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2024**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 40/प्रार्थना/2020 निर्णय दिनांक 01.04.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 109 की खसरा नम्बर 292 की 0.1052 हेक्टर चाही अलीफ आराजी स्थित है। जो कि चाह नं. 256 से सिचिंत होती चली आ रही है। नकल जमाबंदी ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा सम्वत 2072 से 75 पेश की है एवं ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माल में नई खतौनी संख्या 59 की खसरा नम्बर 256 का हत्याराकुवा 0.0162 हेक्टर का गैर मुमकिन चाह 1 लगायत 9 के शामलाती खाते का स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम देवरीखुर्द, तहसील अकलेरा सम्वत 2072 से 75 पेश है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2021 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण 1, 4, 5, 8 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि ग्राम देवरीखुर्द की खसरा नम्बर 292 की 0.1052 हेक्टर, प्रार्थीगण की आराजी को खसरा नम्बर 256 की 0.0162 हेक्टर गे0 मु0 चाह से सिचिंत करने से नहीं रोके, ना अन्य से रूकावे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णिय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाकर एवं राजस्व रेकार्ड भी उचित गौर न फरमाकर निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। खसरा नम्बर 256 की 0.0162 हेक्टर आराजी अपीलांट व अन्य सह खातेदारान के हिस्से की आराजी है। जो गै0 मु0 चाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह चाह अपीलांट खातेदारान ने अपने स्वयं की आय से काफी मेहनत करके इसे बनाया है ऐसी स्थिति में उक्त चाह से रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 को अपीलांट की चाह से अपनी आराजी सिंचित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया कि उक्त चाह रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 ने बनाया हो। केवल अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 को अपीलांट की चाह पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेट नं. 1 लगायत 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं अधीनस्थ न्यायालय की फाइडिंग से भी यह स्पष्ट है कि गै. मु चाह जो खसरा नम्बर 256 में बना हुआ है यह चाह अपीलाट के खातेदारी का है। जिसके अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है और कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी भी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर से उचित गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों पर कोई उचित गौर नहीं फरमाया प्रार्थना पत्र निर्णित करने में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति इन तीनों कानूनी बिन्दुओं पर कोई निर्णय पारित नहीं किया, सरसरी तौर पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है कि खसरा नम्बर 256 में निर्मित चाह अपीलांट की खातेदारी का होना साबित है प्रथम दृष्टया केस रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 के हक में नहीं बनता, कानूनन खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती एवं यदि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 ने जबरदस्ती अपीलांट के चाह से पानी लेने की कोशिश की तो अपीलांट के खाते की आराजी पड़त रहने की संभावना है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति भी अपीलांट को ही होने की संभावना है एवं निषेधाज्ञा जारी करने में असुविधा अपीलांट को ही होगी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.04.2021 निरस्त फरमाया जाये एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रकरण संख्या 40/प्रार्थना पत्र/20 उनवान केला बाई बनाम कल्याण खारिज फरमाया जाये।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. पेश किया जिसके साथ दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2068–2071 एवं नकल जमाबदी सम्वत 2064–2067 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2060–2063 पेश किये गये हैं ।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 प्रार्थीगण ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवलीखुर्द में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 292 की 0.1052 हेक्टर चाही अलीफ आराजी स्थित है जो चाह नम्बर 256 की 0.0162 हेक्टर गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी नं. 2 लगायत 9 के शामलाती खाते की है, से उक्त अपनी खसरा नम्बर 292 की आराजी सिंचित करते आ रहे हैं, परन्तु प्रतिवादी रोकना चाहते हैं इसलिये जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाये कि वह अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 256 गैर मुमकिन चाह से सिंचित करने से नहीं रोके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2021 को स्वीकार कर लिया इसलिये अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

7 पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के कथन से यह निर्विवाद है कि खसरा नम्बर 256 की 0.0162 हेक्टर गैरमुमकिन चाह अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान के हिस्से की आराजी है एवं उक्त खसरा नम्बर 256 चाह का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 खातेदार नहीं है, अपीलान्ट के चाह से रेस्पोडेन्ट को अपनी आराजी सिंचित करने के लिये पानी लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। खसरा नम्बर 256 का गैरमुमकिन चाह कुआ अपीलान्ट ने बनाया है काफी रुपया खर्च किया है और मेहनत की है। उक्त चाह से पानी लेने का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 को पानी लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं अधीनस्थ न्यायालय की फाइन्डिंग से भी यह स्पष्ट है कि गैरमुमकिन चाह जो खसरा नम्बर 256 में बना हुआ है यह चाह अपीलान्ट के खातेदारी की है जिसका अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार है एवं कानूनन रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नहीं फरमाया, अपीलान्ट की चाह में इतना पानी नहीं है कि यह रेस्पोडेन्ट की आराजी सिंचित करवा सके। यदि रेस्पोडेन्ट को पानी की आवश्यकता है तो उसे स्वयं अपने खेत पर कुएँ का निर्माण करवाना चाहिये। अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अपीलान्ट के खाते के कुएँ से रेस्पोडेन्ट को पानी लेने के मामले में निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस बाबत मूल बाद भी चलने योग्य नहीं है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों पर कोई उचित गौर नहीं फरमाया, प्रार्थना पत्र निर्णित करने में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर कोई निर्णय पारित नहीं किया, जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 खसरा नम्बर 256 के खातेदार नहीं है इसलिये प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता उन्हें अपीलान्ट की चाह से अपीलान्ट के कुएं से पानी लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के कारण अपूर्णनीय क्षति भी अपीलान्ट को ही होने की सम्भावना है क्योंकि रेस्पोडेन्ट पानी लेगे तो अपीलान्ट की जमीन असिंचित रह जायेगी, इस प्रकार उक्त तीनों ही बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्ध निर्णित होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.04.2021 निरस्त फरमाया जावे।

10 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी 2016–17 (सप्ली.) पेज 637, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 25 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

11 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 का दावा पेश किया था जिसमें 212 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। खसरा नं. 292 पर सिंचाई का साधन चाह नं. 252 कुए से है यदि जमाबंदी में गलत अंकन हुआ है तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

12 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 582, आर. आर.टी. 2021(2) पेज 828, आर.आर.डी. 1980 पेज 338, आर.टी.एक्ट सेक्शन 188 पेज 325 से 338, आर.आर.डी 1978 पेज 377 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

13 हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2068–2071 एवं नकल जमाबदी सम्वत 2064–2067 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2060–2063 पेश की है। उपरोक्त तीनों जमाबंदियों में खसरा नम्बर 292 के सामने सिंचाई के साधन के रूप में चाह नं. 256 अंकित है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 01.04.2021 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम देवरीखुर्द के खसरा नम्बर 292 की 0.1052 हेक्टर चाही अलीफ आराजी के सिंचाई के साधन के रूप में चाह नम्बर 256 दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त चाह में अपनी आराजी खसरा नम्बर 292 को सिचिंत करने से रोकना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण 1, 4, 5, 8 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह खसरा नम्बर 292 की 0.1052 हेक्टर प्रार्थीगण की आराजी को खसरा नं. 256 की 0.0162 हेक्टर गैर मुमकिन चाह से सिंचित करने से नहीं रोके न अन्य से रूकावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदियों व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों में खसरा नं. 292 के सामने सिंचाई के साधन के रूप में चाह नं. 256 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार यह सही है कि खसरा नं. 256 प्रतिवादी/अपीलांट के शामलाती खाते की चाह है परन्तु वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41, नियम 27 सी. पी. सी. के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068–2071, 2064–2067 व 2060–2063 में अंकित प्रविष्टियों से यह भी स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 292 के सामने सिंचाई के साधन के रूप में चाह नं. 256 अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उक्त प्रविष्टि को नकारना हम उचित नहीं समझते। अपीलांट द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 292 के सामने सिंचाई के साधन के रूप में अंकित चाह नं. 256 की प्रविष्टि को गलत साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 यथावत रखा जाता है।

15 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा